न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

परिवाद संख्या–495/2022

सुनील भण्डारी बनाम् अभिषेक चौधरी

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी के विद्वान श्री दयाकृष्ण काण्डपाल न्यायालय उपस्थित। परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता पेश। सुना, स्वीकृत। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

<u>तलबी आदेश</u>

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट, 1881 के तहत परिवादी द्वारा विरूद्ध विपक्षी दिनांक 16.06.2022 को मय शपथ पत्र व समर्थित दस्तावेजों सहित पेश किया गया है।

2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार से है कि परिवादी उपर्युक्त पते का स्थायी निवासी है। विपक्षी द्वारा परिवादी से जे0सी0पी0 मशीन किराये पर लेकर अपने ठेकेदारी का कार्य पूरा किया गया। उक्त किराये के रूपये 1,00,000/– के एवज में विपक्षी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोएडा सैक्टर 29 नोएडा के अपने खाता संख्या 05860100016830 दिनांक 25.01.2022 का चैक संख्या 000157 मुबलिक 1,00,000/–रूपये परिवादी को दिया गया।

3. उक्त चैक को आहरण हेतु परिवादी द्वारा कुर्माचल नगर सहकारी बैंक लि0शाखा बागेश्वर के खाता में दिनांक 28.03.2022 को जमा किया गया। उक्त चैक बिना भुगतान हुए अनादरित कर दिनांक 29.03.2022 को चैक वापसी ज्ञापन (Funds insufficient) की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया। जिसकी सूचना परिवादी को दिनांक 29.03.2022 का हुई।

4. उक्त चैक की अनादृण की सूचना व मॉग नोटिस परिवादी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता दिनांक 27.04.2022 को विपक्षी को भेजा गया जो विपक्षी को दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त हुआ। विपक्षी को इस बात की जानकारी होते हुए कि, उसके खाते में चैक वर्णित धनराशि नहीं है, के बावजूद चैक जारी किया गया, जो अनादृत हो गया। अतः

विपक्षी को धारा 138 एन0आई0एक्ट के तहत न्यायालय तलब किये जाने की याचना की गयी है।

5. प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची **6क/1** से, 6क/2– चैक संख्या 000157 मु0 1,00,000/–रूपये, 6क/3– चैक के अनादरण की बैंक रिर्टन मैमों, 6क/4– पंजीकृत नोटिस मय डाक रसीद, 6क/7– अभियुक्त को प्रेषित नोटिस की तामीली रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये है। उपरोक्त दस्तावेज मूल रूप में है।

6. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. परिवाद कथानक के अनुसार विपक्षी द्वारा अपने ठेकेदारी के कार्य हेतु परिवादी से जे0सी0पी0 मशीन किराये में ली गयी। किराये के मु0 1,00,000/–रूपये के एवज में विपक्षी द्वारा चैक संख्या 000157 मु0 1,00,000/–रूपये दिनांकित 25.01. 2021 तथा बैंक वापसी ज्ञापन मूल रूप में प्रस्तुत की गयी है। चैक अनादृण का नोटिस दिनांकित 27.04.2022 विपक्षी को प्रेषित किया गया है, जो विपक्षी को दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त हुआ। यह परिवाद दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत किया गया है।

NECESSARY INGREDIENT OF OFFENCE UNDER SECTION 138

As held by the Supreme Court in the case of Kusum lngots & Alloys Ltd. v. Penar Peterson Securities Ltd. and others, (2000) 2 SCC 745, following are the necessary ingredients of the offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act:-

(i) a person must have drawn a cheque on an account maintained by him in the bank for payment of money to another person from out of that account, for the discharge of any debt or liability.

(ii) that cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier.

(iii) hat cheque is returned unpaid either because the money standing to the credit of the account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank.

(iv) the payee or the holder in due course of the cheque makes a demand for the payment of the said amount

of money by giving a notice in writing to the drawer of the cheque, within 15 days of receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque unpaid.

(v) the drawer of such cheque fails to make payment of the said amount of money to the payee or the holder in due course of the cheque within 15 days of the receipt of the cheque.

The Supreme Court has again held in the case of **K.R. Indira v. Dr. G. Adinarayan, (2003)** 8 SCC 300, that the offence under Section 138 of the N.I. Act can be completed with the 'concatenation' of a number of acts. The above five acts are the components of the said offence. While drafting complaint of an offence under Section 138 read with Section 142 of the N.I. Act all such allegations, which answer the above said ingredients, must fine place in the complaint. A properly drafted complaint goes a long way in successful prosecution of the case.

8. उपर्युक्त विधिक व्यवस्था तथा प्रार्थना पत्र के समर्थित तथ्यों से विदित है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैकों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही विधिक समय सीमा के अंतर्गत किया जाना दर्शित है। इस प्रकार पत्रावली पर जो तथ्य परिवादी द्वारा वर्णित किये गये है तथा जो अभिलेख दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये है, जिसके आधार पर विपक्षी अभिषेक चौधरी को धारा 138 एन0आई0एक्ट, 1881 के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अभिषेक चौधरी को धारा 138 एन0आई0एक्ट, 1881 के तहत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु न्यायालय तलब किया किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी दोनों प्रकार से अविलम्ब करन सुनिश्चित करें तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक को पेश हो।

(रिज़वान अंसारी)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।